# कार्यालय : न्यायाधीश,मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, प्रतापगढ़, (राज.)

**Telephone/Fax-01478-222464 ::** **E-Mail :-mact-pra-rj@hcraj.nic.in**

क्रमांक :– स्थापना / 2021 / 144 दिनांक :– 08.06.2021

## –::आदेश ::–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 11 / पी.आई / 2021 दिनांक 07.06.2021 के अनुसरण मे परिवर्तित परिस्थितियों मे कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने एवं निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु इस न्यायालय मे दिनांक 09–06–2021 से दिनांक 28–06–2021 तक निम्न कार्य व्यवस्था अमल मे लाई जाती है :–

01.– कोई भी अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरण / प्रार्थना पत्र जो इस न्यायालय से संबंधित है, उन्हें इस न्यायलय के अधिकृत ई–मेल पता **mact-pra-rj@hcraj.nic.in** पर ही भेजे जायेंगे, जो इस शर्त के साथ स्वीकार किये जायेंगे कि जैसे ही नियमित रूप से न्यायालय कार्य चालु होता है, उस समय उस प्रकरण / प्रार्थना पत्र आदि की मूल प्रति पक्षकार / अधिवक्ता द्वारा इस अधिकरण में प्रस्तुत कर दिये जायेंगें। उपरोक्त अधिकृत ई–मेल पर भेजे जाने वाले अति आवश्यक प्रकरण / प्रार्थना पत्र आदि के साथ पक्षकार / अधिवक्ता के वह मोबाईल नम्बर जिस पर वॉट्स एप है, का विवरण तथा पक्षकार / अधिवक्ता का सम्पूर्ण पता व ई–मेल पता उसके साथ भेजा जायेगा और उसके बिना अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरण / प्रार्थना पत्र ग्रहण किये जाने योग्य नहीं होंगे।

02.– अति आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवायी विडियो कोन्फ्रेसिंग के द्वारा विडियों कॉल / वॉट्स एप / वाईस कॉल के माध्यम से ही की जायेगी।

01. श्री प्रदीप शर्मा, रीड़र 9783554596
02. श्री विनोद गवारिया, लिपिक ग्रेड़ द्वितीय 9571672525
03. भगवान सहाय गागर, लिपिक ग्रेड़ द्वितीय 7742636265

उक्त अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत् सुनवाई हेतु निम्न तिथिया सुनिश्चित की जाती हैं। यदि किसी प्रकरण मे स्थगन आदेश प्रभावी है तो यह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा।

| वर्तमान नियत तिथि | आगामी नियत तिथि |
|---|---|
| 09–06–2021 | 29–06–2021 |
| 10–06–2021 | 30–06–2021 |
| 11–06–2021 | 01–07–2021 |
| 14–06–2021 | 02–07–2021 |
| 15–06–2021 | 03–07–2021 |
| 16–06–2021 | 05–07–2021 |
| 17–06–2021 | 06–07–2021 |
| 18–06–2021 | 07–07–2021 |
| 19–06–2021 | 08–07–2021 |
| 21–06–2021 | 09–07–2021 |
| 22–06–2021 | 12–07–2021 |
| 23–06–2021 | 13–07–2021 |
| 24–06–2021 | 13–07–2021 |
| 25–06–2021 | 13–07–2021 |
| 28–06–2021 | 13–07–2021 |

परिवर्तित दिनांक शीघ्र ही सीआईएस पर अपडेट कर दी जायेंगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण को अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता हैं तो वह इस संबंध में कारणों को अंकित करेगा तथा यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात यह उचित पाता है कि प्रकरण वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

Sd-
न्यायाधीश
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण
प्रतापगढ़ (राज.)